



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 856) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

8 सितम्बर 2020

सं० 1144—श्री राम जानकी मंदिर (पियनियां मठ), ग्राम+पो0— पियनियां, था0— उदवंतनगर, जिला— आरा (भोजपुर), बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 2999 है।

यह एक सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक न्यास है। इसमें 22 एकड़ भूमि है, जिसमें मौजा— पियनियां में 11.40 एकड़ तथा शेष भूमि खरौनी, जिला— भोजपुर में स्थित है। कोई न्यास समिति नहीं रहने के कारण, खरौनी स्थित बिना किसी आदेश के अवैध व्यक्तियों के द्वारा जोत—कोड़ दिया जाता है। पियनियां स्थित जमीन स्वयंभू न्यास समिति के देख—रेख में बटाई पर खेती की जाती है। पर्षद को ग्रामीणों की आम सभा द्वारा 11 सदस्यों की सूची प्राप्त हुई। प्राप्त सूची को पर्षद द्वारा अंचलाधिकारी को प्रेषित किया गया तथा अन्य व्यक्ति जो धार्मिक और अच्छे चरित्र के हों, यदि वे चाहते हों तो उनका नाम भेजने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक— 961, दिनांक— 26/10/2019 में राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन दिनांक— 28/02/2019 तथा थानाध्यक्ष, उदवंतनगर का प्रतिवेदन दिनांक— 20/08/2019 प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पंजी—2 में भूमि रैयत महंत योगी राज पहाड़ी बाबा चेला कवि बिरेन्द्र दास जी वो बिहारी दास जी वो जयराम दास जी वो रामानंद दास वो नगीना दास वो कमता दास वो देवदास वो चेतन दास वो दिवान दास के नाम से मौजा पियनियां थाना सं०— 223, खाता संख्या— 205, खेसरा संख्या— 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340, 1341, 1342, एवं 1343 में कुल भूमि 11.40 एकड़ दर्ज है तथा थाना द्वारा दी गयी रिपोर्ट में उल्लेख है कि प्रस्तावित सूची के क्रम संख्या— 06 पर अंकित गोपाल सिंह पिता— स्व० देव सुन्दर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। शेष सभी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में न्यास की सुव्यवस्था एवं सम्यक् विकास हेतु प्रस्तावित नामों की न्यास समिति गठन करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा— 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०— 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए “श्री राम जानकी मंदिर (पियनियां मठ), ग्राम+पो0— पियनियां, था0— उदवंतनगर, जिला— आरा (भोजपुर)” के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "श्री राम जानकी मंदिर (पियनियां मठ) न्यास योजना, ग्राम+पो0- पियनियां, था0- उदवंतनगर, जिला- आरा (भोजपुर)" होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "श्री राम जानकी मंदिर (पियनियां मठ) न्यास समिति, ग्राम+पो0- पियनियां, था0- उदवंतनगर, जिला- आरा (भोजपुर)" होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्रियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
17. अध्यक्ष की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की परिस्थिति में अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन, उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | | |
|------|---|------------------|
| (1) | श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, पिता-स्व0 दीप नारायण सिंह, ग्राम+पो0-सरथुला, था0-उदवंतनगर, आरा | -अध्यक्ष |
| (2) | श्री रामजन्म सिंह पिता-स्व0 भवन सिंह, ग्राम-सरौना, पो0-सरथुला, था0-उदवंतनगर, आरा | -उपाध्यक्ष |
| (3) | श्री अशोक कुमार सिंह पिता- स्व0 हरदेव सिंह, ग्राम+पो0- पियनिया, जिला- आरा | -सचिव |
| (4) | श्री जवाहर सिंह पिता- स्व0 शिवनाथ सिंह, ग्राम+पो0- पियनियां, आरा | -कोषाध्यक्ष |
| (5) | श्री अखिलेश्वर सिंह पिता- रामेश्वर सिंह, ग्राम+पो0- पियनियां, आरा | -सदस्य |
| (6) | श्री जय प्रकाश दास, ग्राम+पो0- पियनियां, था0- उदवंतनगर, जिला-आरा | -पुजारी-सह-सदस्य |
| (7) | श्री रास बिहारी सिंह पिता- दुधनाथ सिंह, ग्राम+पो0- पियनियां, आरा | - सदस्य |
| (8) | श्री परदोस पासवान पिता- बुटन पासवान, ग्राम+पो0- पियनियां, आरा | - सदस्य |
| (9) | श्री धनेष सिंह पिता- भगवती सिंह, ग्राम- खलिसा, पो0- करवा, आरा | - सदस्य |
| (10) | श्री जय नारायण सिंह पिता- स्व0 राम समुल सिंह, ग्राम+पो0- सरथुला, आरा | - सदस्य |

11. श्री अमरेन्द्र सिंह पिता— स्व० गुप्तेश्वर, ग्राम+पो०— रीवा, आरा — सदस्य
उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि “श्री राम जानकी मंदिर (पियनियां मठ),
ग्राम+पो०— पियनियां, था०— उदवंतनगर, जिला— आरा (भोजपुर)” के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा।

नोट:— न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण /
बदलैन / विक्रय / पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग
करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के
विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 856-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>